पत्रांक–11 / न0वि0 / विविध–03 / 2022 667 / न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

प्रेषक,

उमाकान्त पाण्डेय,
परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–14/03/22

विषयः– **मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन से संबंधित लम्बित आवेदनों के निष्पादन हेतु नगर निकायों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उठाये गये प्रश्नों का मार्ग–निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

निदेषानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मोबाईल टॉवर के अधिष्ठापन से संबंधित लम्बित आवेदनों के निष्पादन हेतु नगर निकायों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उठाये गये प्रश्नों का बिहार मोबाईल टॉवर, ऑप्टिकल फाईबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के प्रावधानों के आलोक में मार्ग–निर्देश निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	प्रश्न	दिशानिर्देश
01	नगर निकाय अंतर्गत निजी जमीन पर मोबाईल tower अधिस्ठापन संबंधी आवेदन के केस में क्या NOC निर्गत करने से पूर्व संबंधित जमीन मालिक द्वारा होल्डिंग टैक्स अधतन किया जाना अनिवार्य है?	Holding, Tax के मामले में नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किया जाना है। बिहार मोबाईल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली–2020 (नियमावली) में इस संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।
02	Indemnity bond /Agreement कितने रूपये मूल्य के stamp paper पर किया जाना है? निजी जमीन के केस में आवेदन के साथ registered agreement नहीं दिया जा रहा है, जो agreement दिया जा रहा है वो 100 रुपए के stamp paper पर है। इस संबंध मे विभागीय पत्र-128 दिनांक-13.01.22 के आलोक मे विभागीय मार्गदर्शन की	Indemnity bond के संबंध में विभागीय पत्रांक–192, दिनांक–24.01.2022 की कंडिका–03 में दिये मार्गदर्शन के अनुसार कार्रवाई किया जाय। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा संशोधित / निर्धारित मुद्रांक शुल्क को भी दृष्टिपथ में रखा जाय। मोबाईल टॉवर कंपनियों का भूमि / भवन मालिकों के साथ एकरारनामा के संबंध में CAG का 31 मार्च–2010 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) की कंडिका–5.2.81 में उठाये गये आपत्तियों के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–128 दिनांक–13.01.2022 को निर्गत पत्र का अनुपालन किया जाय। इसके

	आवश्यकता है।	लिये एकरारनामा का निबंधित होना आवश्यक है। ऐसे मामले जिसमें एकरारनामा निबंधित नहीं है, में आवेदक को 15 दिनों के अंदर निबंधित एकरारनामा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय। तथा इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अवर निबंधक कार्यालय से संपर्क स्थापित कर निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क की कार्रवाई की जाय ताकि सरकार को राजस्व की क्षति न हो।
03	पुराने unauthorized tower के regularization के केस में बकाया राशी की गणना किस नियमावली के आधार पर किया जाना है? आवेदक द्वारा बकाया राशी का भुगतान online या offline किया जाना है?	मौजूदा अनाधिकृत मोबाईल टॉवरों या ओ. एफ.सी. के नियमितीकरण (Regularization) के केस में आवेदन का निस्तारण नियमावली की कंडिका–9.10 (नियमितीकरण/कम्पाउण्डिंग) में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। एक बार अनुगति शुल्क एवं भूमि/छत (केवल सरकारी भूमि/छत) उपयोग शुल्क की गणना नियमावली की कंडिका–7.1.10, 8.2.xiii, 8.9 एवं 7.3.4 में अंकित प्रावधान के अनुसार किया जाना है। चूकि यह नियम लोकहित को ध्यान में रख कर बनाया गया है, जिसके लिये अनाधिकृत टॉवर आदि के नियमितिकरण के लिये नये नियम का ही अनुशरन किया जाना है। किसी भी प्रकार का भुगतान ऑनलाईन मोड में ही पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है।
04	नियमावली-2020 के अधिसूचित होने के पश्चात कुछ आवेदक के द्वारा regularization से संबंधित आवेदन हार्ड कॉपी मे नगर निकाय/प्रखण्ड कार्यालय मे जमा कर दिया गया है। ऐसे आवेदन का निस्तारण किस तरह किया जाएगा ?	Regularization से संबंधित प्रावधान नियमावली के कंडिका 9.10 में वर्णित है जिसके आलोक में Regularization की कार्रवाई की जानी है। विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल दिनांक–05.02.2021 से प्रभावी है। किसी प्रकार का आवेदन पोर्टल के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना है। इस संबंध में नियामावली के कंडिका 3.1 में वर्णित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई किया जाना है। इस संबंध में मौजूदा अनाधिकृत मोबाईल टॉवरों/ओ.एफ.सी. के नियमितीकरण हेतु दिनांक–19.03.2022 तक अवधि विस्तारित किया गया है। संबंधित आवेदक को विस्तारित अवधी तक निश्चित रूप से Regularization हेतु आवेदन कर लेने का अनुरोध किया जाना आवश्यक है। Regularization से संबंधित Hard Copy के रूप में प्राप्त आवेदन को पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से अपलोड करने हेतु

		आवेदक से अनुरोध किया जाना है।
05	Local authority द्वारा एक से अधिक बार Query करने एवं 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी अगर आवेदक द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है तो क्या आवेदन को रद्द किया जा सकता है?	इस संबंध में Local authority द्वारा नियमावली की कण्डिका–7.1.5 से 7.1.9 तक वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।
06	Local authority (BDO) द्वारा आवेदन के निस्तारण में कार्यालय खर्च हेतु राशी का वहन किस मद से किया जाएगा? क्या नोडल विभाग द्वारा इस हेतु contingency उपलब्ध कराया जायेगा?	नियमावली में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। विभाग से भी Contingency उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
07	BDO कार्यालय को प्राप्त होने वाले one time permission fee का उपयोग किस प्रकार किया जाना है? क्या यह सरकारी खजाने में जमा किया जाना है?	इस मद में प्राप्त होने वाले वन टाईम अनुमति शुल्क आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाना है। यह शुल्क विभाग द्वारा समय–समय पर संबंधित प्राधिकार को ऑनलाईन के माध्यम से उनके बैंक एकॉन्ट में उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकार के आंतरिक संसाधन से प्राप्त होने वाले आय के अंर्तगत होगा। इसका खर्च संबंधित स्थानीय प्राधिकार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
08	Local authority कैसे पता कर सकता है कि आवेदक कंपनी भारत सरकार द्वारा licensed है क्या ऐसे आवेदक कि सूची विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है? कुछ आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमे की कोई कंपनी का नाम नहीं दर्शाया गया है और एक कंपनी का नाम है लेकिन उसमे मान्यता प्राप्त कंपनी का नाम नहीं है।	इस संबंध में दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार एवं TRAI के वेबसाईट https://dot.gov.in/ एवं https://trai.gov.in पर अनुज्ञप्तिधारी IP-I एवं TSP की सूची उपलब्ध है। जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इस हेतु उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।
09	BDO कार्यालय मे permission fee प्राप्त करने हेतु नया बैंक अकाउंट किस नाम से खोला जाना है? अगर पहले से बैंक अकाउंट है तो क्या उस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल इस हेतु किया जा सकता है ?	इस हेतु विभागीय पोर्टल में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। जहॉ पहले से आंतरिक श्रोत से प्राप्त होने वाले राजस्व के संग्रह के लिए बैंक एकॉन्ट उपलब्ध है, वहॉ नये एकाउन्ट खोलने की आवश्यकता नहीं है।
10	यदि कोई आवेदक बिना NOC प्राप्त किये नया टावर अधिसथापित कर दिया है और उसके बाद पोर्टल पर आवेदन समर्पित किया है एवं स्थलीय जांच के दौरान टावर पहले से लगा हुआ पाया तो उस स्थिति में क्या किया जाना है?	इस संबंध में ऐसे टॉवर को अनाधिकृत मानते हुए प्राधिकार द्वारा नियमावली के आलोक में निष्पादन किया जायेगा। इस संबंध में नियमावली के नियम –5 एवं 6 तथा 9.10 में निहित प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना है।
11	कतिपय नगर निकाय के क्षेत्र बिस्तार के पश्चात कुछ ग्रामीण छेत्र नगर निकाय के अंतर्गत शामिल हो गए है। इन नये शामिल छेत्र के लिए प्राप्त आवेदन का निस्तारण किस प्रकार किया जायेगा?	ऐसे मामले में जिस नगर निकाय से यह क्षेत्र संबद्ध हुआ है, उस नगर निकाय द्वारा नियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है।
12	नवगठित नगर निकायों का नाम पोर्टल पर उपलब्ध	इस संबंध में नवगठित नगर निकायों का नाम

134

	नहीं है जिसके कारण आवेदक नवगठित नगर निकाय क्षेत्रों मे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।	पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
13	क्या BDO द्वारा सरकारी भूमि पर mobile tower अधिस्ठापन के लिए NOC निर्गत करने से पूर्व संबंधित अंचल अधिकारी से भी NOC लिया जाना है ?	इस संबंध में नियमावली के आलोक में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ही NOC निर्गत किया जाना है। नियमावली की कण्डिका–2(थ) में ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकरी को स्थानीय प्राधिकारी नामित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग–निर्देश के आलोक में अविलंब मोबाईल टावर अधिष्ठापन से संबंधित ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

11/3/22

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक–11 / न0वि0 / विविध–03 / 2022 667 / न0वि0एवं.आ0वि0 दिनांक– 14/03/22

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/22

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक–11 / न0वि0 / विविध–03 / 2022 667 / न0वि0एवं.आ0वि0 दिनांक–14/03/22

प्रतिलिपिः–मो0 नजर हुसैन, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से संबंधित प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

11/3/22

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय।